निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 284)   पटना, सोमवार, 8 अप्रील 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रील 2013

सं0 वि०स०वि०-06/2013-3599/वि०स०—"भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013", जो बिहार विधान-सभा में दिनांक-01 अप्रील, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013

[वि०स०वि०-05/2013]

बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–47–क की उप–धारा (1) का प्रतिस्थापन। – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–47–क की उप–धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः –

   "(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पत्ति का वर्गीकरण या/और सम्पत्ति में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पत्ति का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी है वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समाहर्त्ता को प्रेषित करेगा।"

उद्देश्य एवं हेतु

प्रस्तुत विधेयक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–47–क की उप–धारा (1) में प्रतिस्थापित होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पत्ति का वर्गीकरण या/और सम्पत्ति में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पत्ति का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी हो वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समाहर्त्ता को प्रेषित करेगा।

इस संशोधन के फलस्वरूप निबंधन पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में प्रविष्ट मूल्य के दस्तावेज में अंकित किए जाने के उपरांत समाहर्त्ता को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रेषित करने का विशेषाधिकार समाप्त हो जायेगा। अब यह मात्र सम्पत्ति के वर्गीकरण के गलत प्रमाणित होने एवं संरचना की माप गलत पाये जाने पर ही उपयोग में लाया जा सकेगा। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियम कराना ही इसका अभीष्ट है।

(विजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक 01 अप्रील, 2013

प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 284-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in